समाहरणालय, मधुबनी
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक________/सा0सु0

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी
मधुबनी।

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
बिहार, पटना।

मधुबनी, दिनांक वीं जनवरी 2015 ई0।

विषय :— सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं में जिला द्वारा पंचायत स्तर पर पेंशनधारियों को नगद पेंशन वितरण का प्रावधान के अन्तर्गत वर्त्तमान में आवश्यकतानुसार पेंशन पासबुक, पंजी एवं पेंशनधारियों का फोटोग्राफी हेतु निविदा प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है, कि सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को नगद पेंशन वितरण के क्रम में आवश्यकतानुसार पेंशनधारियों का पेंशन पासबुक, फोटोग्राफी एवं पेंशन भुगतान पंजी का मुद्रण कराया जाना है। जिसके लिए निविदा प्रकाशित किया जाना है।

अतएव अनुरोध है कि संलग्न निविदा को बिहार राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :— यथावर्णित पत्र
एवं निविदा की
छः प्रति सी0डी0, के साथ

विश्वासभाजन

ह0/-

जिला पदाधिकारी
मधुबनी।

ज्ञापांक 71 /सा0सु0, दिनांक 09.02.15 ।

प्रतिलिपि :— जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधुबनी को निविदा की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, मधुबनी को जिले की वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

9/2/15

जिला पदाधिकारी
मधुबनी।

समाहरणालय, मधुबनी
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)
–: निविदा आमंत्रण सूचना :–

सामाजिक सुरक्षा की सभी छः पेंशन योजनाओं के पेंशनधारियों को वित्तीय वर्ष 2012–13 से नकद पेंशन भुगतान के लिए वर्त्तमान में आवश्यकतानुसार निम्नांकित कार्यों/आपूर्तियों हेतु दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफों में गैर सरकारी संस्थान/इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं से निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। प्रथम मुहरबंद लिफाफा में तकनिकी निविदा समर्पित की जाएगी। जिसमें सभी वांछित कागजात एवं प्रमाण – पत्र के साथ जमानत की राशि से संबंधित बैंक ड्राफ्ट समर्पित किये जायेंगे। वित्तीय मुहर बंद लिफाफा में कार्य/आपूर्तियों के दर समर्पित किये जायेंगे। प्रथम लिफाफा पर तकनिकी निविदा एवं दूसरे लिफाफा पर वित्तीय निविदा सुस्पष्ट बड़े अक्षरों में अंकित किया जायेगा। प्रथमतः निविदा तकनिकी निविदा खोली जायेगी तथा उक्त में योग्य पाये गये निविदादाताओं के दरों से संबंधित वित्तीय निविदा लिफाफे को खोला जाएगा। इच्छुक निविदादाता नमुना सहित निविदाएँ दिनांक 2.3.15 के अपराह्न 3 बजे तक सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधुबनी को निबंधन डाक के माध्यम से या स्वंय उपस्थित होकर दे सकते हैं। सभी प्राप्त निविदाएँ दिनांक 2.3.15 को 4 बजे अपराह्न में क्रय समिति के सदस्यों के बीच अधोहस्ताक्षरी के समक्ष खोला जाएगा। उक्त तिथि को निविदा खोलते समय निविदादाता स्वंय या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। किसी प्रकार का कोई अग्रिम देय नहीं होगा। पंजी एवं पासबुक की आपूर्ति हेतु निविदा के लिए अपने प्रेस का निबंधन प्रमाण–पत्र देना आवश्यक होगा।

सामग्रियों की विवरणी :–

क0	साम्रगी/कार्य का नाम	आकार	विशिष्टायाँ
1.	2.	3.	4.
1.	पंजी	1. 10 जिस्ता 2. 08 जिस्ता 3. 06 जिस्ता 4. 04 जिस्ता	1. 210mm×335mm 2. 90 GSM स्टैण्डर्ड पेपर 3. पंजी के प्रत्येक पृष्ठ पर छपाई
2.	पासबुक	16.5cm×10.5cm	1. कभर–फाइन कार्ड बोर्ड 2. मध्य पृष्ठों की संख्या–5 स्टैंण्डर्ड 80 GSM पेपर पर छपाई के साथ
3.	डिजिटल फोटोग्राफी	पासपोर्ट साईज 3.5×4.5 cm	डिजिटल थर्मेल इमेजिंग प्रिंटिग से दो फोटो रंगीन स्टीकर युक्त प्रत्येक व्यक्ति। जिले में उक्त फोटोग्राफी छुटे हुए एवं नये पेंशनधारी का किया जाना है।

तकनिकी निविदा के मुख्य बिन्दु :–

1. प्रत्येक निविदादाता को फोटोग्राफी मद में जमानत राशि के मद में 25000.00 पच्चीस हजार रूपये एवं पंजी/पेंशन पुस्तिका मद में 25000.00 पच्चीस हजार रू0 का बैंक ड्राफ्ट जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पदनाम से निविदा के साथ जमा करना होगा, जो मधुबनी में भुगतेय होगा तथा जिसकी वैधता साम्रगी की आपूर्ति के पश्चात की तिथि से 60 दिनों की अवधि तक रहनी चाहिये।
2. फोटोग्राफी का कार्य पंचायत स्तर पर शिविर में करना होगा एवं स्थल पर ही पेंशनधारियों का फोटो खिचना होगा एवं तुरंत शिविर स्तर पर ही दो प्रति में फोटो प्रिन्ट कर देना होगा। शिविर स्थल पर जनेरेटर की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जायेगी।
3. पेंशन की पुस्तिका के भीतर अंकित होने वाली विवरणी जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधुबनी से प्राप्त की जा सकती है।
4. आपूर्ति की जानेवाली पंजी एवं लाल, हरा, सादा एवं पीला पासबुक छपाई के मुख्य कभर पृष्ठ एवं कागज का नमुना निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5. वित्तीय वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14 में प्रत्येक वर्ष 1 crore का turnover होना चाहिए।
6. Sales Tax, Service Tax, S.S.I.& Shop Establishment का 5 वर्ष का Registration होना चाहिए।
7. Sales Tax, Service Tax, Income Tax का अद्यतन Return की Copy देना अनिवार्य है।
8. निविदादाता को निविदा के साथ एक शपथ पत्र देना होगा की उनके फर्म का नाम काली सूची में दर्ज नहीं है।
9. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
10. कार्यहीत में एवं सुविधा के दृष्टिकोण से न्यूनतम दर पर उक्त कार्यो को एक से अधिक निविदादाताओं को भी आवंटित किया जा सकता है।
11. आपूर्तिकर्त्ता को अलग से परिवहन एवं मजदूरी की राशि देय नहीं होगी।
12. बगैर किसी कारण बताये निविदा को रद्द करने, स्वीकृत करने का, खंडित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा एवं किसी भी निविदा में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा तथा इसके लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।
13. आदेश प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर वांछित संख्या में साम्रगियाँ प्रिटिंग कर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधुबनी को देना होगा, जिस हेतु परिवहन व्यय देय नहीं होगा। ससमय आपूर्ति नहीं करने पर जमानत की राशि जप्त की जा सकती है।
14. आपूर्ति साम्रगियाँ गुणवत्ता एवं विशिष्टिता सत्यापन के उपरान्त अनूमान्य बिक्री कर एवं आयकर तथा अन्य अनूमान्य करो की कटौती कर ही भुगतान किया जायेगा, साथ ही एकरारनामा के अनुसार आपूर्ति नहीं करने पर काली सूची में डालने की कार्रवाई की जा सकती है।
15. नमूना का अवलोकन जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में किया जा सकता है।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट **http://madhubani.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है।

Sd/- 9/2/15

जिला पदाधिकारी
मधुबनी।